मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2550095, 2551486–87 फैक्स 2550094

क्रमांक 515 / NR-3/NREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 20 / 01 / 2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   जिला– समस्त (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के लाभार्थियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने बावत् ।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्र.15350/NR-3/NREGS-MP/09 भोपाल, दिनांक 21.12.2009 ।

—0—

कृपया संदर्भित पत्र अवलोकन करने का कष्ट करें। कपिलधारा उपयोजना के समस्त लाभार्थियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठित किये जाने के निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये (परिपत्र की छायाप्रति संलग्न) है।

उक्त समिति में निम्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित किया जावे :

1. उद्यानिकी विभाग	—	सदस्य
2. अग्रणी जिला प्रबंधक (लीड बैंक मैनेजर)	—	सदस्य
3. मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना	—	विशेष आमंत्रित सदस्य
4. इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना	—	विशेष आमंत्रित सदस्य
5. अनूसूचित जाति वित्त विकास निगम के फील्ड आफिसर	—	विशेष आमंत्रित सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति में शामिल विभिन्न विभागों के सदस्य उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी, समिति के अन्य नामांकित सदस्यों को भी समय–समय पर उपलब्ध करायेंगे। ताकि सभी विभागों को अन्य विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी रहे तथा हितग्राही को समेकित रूप से लाभ मिल सके एवं दोहरा लाभ एक ही को प्राप्त न होकर सभी हितग्राही को शासकीय योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

कपिलधारा उपयोजना के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से विद्युत/डीजल/पैडल पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु हितग्राहीवार जानकारी के 02 प्रपत्र सुविधा हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

20/1/10

(रश्मि अरूण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक 516 / NR-3/NREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 20 / 01 / 2010

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त उद्यानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
6. परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, बीज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
7. परियोजना समन्वयक, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना, पर्यावरण परिसर ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल।
8. संचालक संस्थागत वित्त संचालनालय मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन ''ग'' खण्ड, प्रथम तल भोपाल।
9. आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।
10. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
11. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ई–5, अरेरा कालोनी, रविशंकर नगर पोस्ट आफिस, पी.ओ. बाक्स.नं. 513 भोपाल।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल।

20/1/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

परिशिष्ट–1 एकल गतिविधि के तहत

कपिलधारा उपयोजना के लाभार्थियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध कराने जाने हेतु हितग्राहीवार जानकारी का प्रपत्र

माह ....

जिले का नाम ....

जनपद पंचायत का नाम ....

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम व पिता/पति का नाम	हितग्राही का वर्गीकरण (SC/ST/ BPL/ IAY /LR/ Marginal, small Farmer)	निर्मित संरचना का प्रकार (कूप अथवा खेत तालाब)	भूमि का खसरा नं., जहां पर परिसम्पति त निर्मित की गई	पानी की उपलब्धता की स्थिति	विद्युत व्यवस्था की स्थिति (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो संरचना से विद्युत पोल की दूरी	पम्प का प्रकार विद्युत/डीजल/पैडल	निर्मित सिंचाई संरचना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण अथवा प्रातिरत 75%)	विभाग का नाम जिसके तहत पम्प प्रदाय किया जावेगा	पम्प हेतु धनराशि की उपलब्धता (राशि रूपयों में)		विशेष
												अनुदान	ऋण	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सदस्य सचिव/संयोजक
जिला स्तरीय समिति

परिशिष्ट–2 सामूहिक गतिविधि के तहत

कपिलधारा उपयोजना के लाभार्थियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध कराने जाने हेतु हितग्राहीवार जानकारी का प्रपत्र

माह......................

जिले का नाम ....

जनपद पंचायत का नाम ....

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम व पिता/पति का नाम	निर्मित संरचना का प्रकार (कूप/स्टाप डेम/चेकडेम/लघु तालाब	कूप निर्माण की स्थिति में भूमि का खसरा नं., जहां पर परिसंपत्ति निर्मित की गई	पानी की उपलब्धता की स्थिति	विद्युत व्यवस्था की स्थिति (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो संरचना से विद्युत पोल की दूरी	पम्प का प्रकार विद्युत/डीजल/पंडल	निर्मित सिंचाई संरचना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण अथवा प्रातिरत 75%)	विभाग का नाम जिसके तहत पम्प प्रदाय किया जावेगा	पम्प हेतु धनराशि की उपलब्धता (राशि रूपयों में)		विशेष
											अनुदान	ऋण	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12	13	14

सदस्य सचिव / संयोजक
जिला स्तरीय समिति

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\proforma SOP.doc

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755-2550095, 2551486-87 फैक्स 2550094

क्रमांक 15350 / NR-3/NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 21 / 12 / 2009

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला– समस्त (म.प्र.)

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के लाभार्थियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने बावत् ।

———0———

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के तहत वृहद पैमाने पर कूप निर्माण एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई स्त्रोत विकसित किये गये हैं। इन सिंचाई स्त्रोतों से हितग्राही को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके, इस हेतु पानी उद्वहन सुविधा के लिये सिंचाई पम्प उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। हितग्राही की आवश्यकतानुसार डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प उपलब्ध कराया जाना है, इस हेतु कपिलधारा उपयोजना के संबंध में विभाग के पत्र क्र. 6077/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 07.04.2007 के माध्यम से जारी किये गये निर्देशों के अनुलग्नक 1 एवं 4 में संशोधित आवेदन पत्र में जानकारी ली जावें (संशोधित अनुलग्नक संलग्न है)।

कपिलधारा उपयोजना के समस्त हितग्राहियों को सिंचाई पम्प उपलब्ध होना सुनिश्चित हो सके इस हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है :

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – संयोजक
3. उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग – सदस्य सचिव
4. जिला स्तरीय एस.जी.एस. व्हाय. योजना प्रभारी – सदस्य
5. जिला स्तरीय आई.टी. डी.पी./टी.ए.डी.पी. अधिकारी – सदस्य
6. कार्यपालन यंत्री, विद्युत संभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल – सदस्य
7. जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत – सदस्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक माह उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित/स्वीकृत हितग्राहियों की सूची उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से विभिन्न विभागीय योजनाओं में सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध धन राशि से सिंचाई पम्प की व्यवस्था कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कराई जावें। जिन हितग्राहियों के कूप निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, उन्हें प्राथमिकता से एवं जिन हितग्राहियों के कूप प्रगतिरत है अथवा स्वीकृत है उन्हें क्रमशः द्वितीयक एवं तृतीयक प्राथमिकता में लिया जावेगा। साथ ही उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कपिलधारा के लाभान्वित हितग्राहियों की आवश्यकता एवं स्थल की उपयुक्तता का आंक्कलन कर हितग्राहीवार डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प की संख्या का निर्धारण करेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार समिति का गठन कर वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक /5351 / NR-3/NREGS-MP / 2009

भोपाल, दिनांक 21 / 12 / 2009

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

संशोधित

अनुलग्नक – 1

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला ....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

मैं कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु .... कार्य (व्यक्तिगत गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. ग्राम : ....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : .... हेक्टेयर
5. खसरा नंबर : .... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार : ....
....
....
....
7. पानी उद्वहन हेतु आवश्यक पम्प का प्रकार, डीजल/इलेक्ट्रिक (बिजली की उपलब्धतता के आधार पर) : ....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हितग्राही के हस्ताक्षर